रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gaze… of India

प्राधिक…

PUBLISHE… …THORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, … …972/पौष 11, 1893

No. 1] **NEW DELHI, SATURDAY,** … **1972/PAUSA 11, 1893.**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है … …लग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given … …rder that it may be filed … …tion.

(i)

PART II—Sectio… …-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार … …ों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी कि… …विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण … …देश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (incl. … …rs, bye-laws etc. of a general character) issued by the Min… …the Government of India (other than the Ministry of Defe… …by Central Authorities (other than the Administrations of … …rritories).

MINISTR… …AFFAIRS

New Delh… …ember 1971

G.S.R. 1.—In exercise of the p… …ed by sub-section (1) of section 8 of the Central Reserve Police … (66 of 1949) read with clause (c) of rule 2 of the Central Reserve … Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the Wireless A… …to the Director General of the Central Reserve Police Force as an ex-… …o Deputy Inspector General of Police for the Central Reserve Police Force.

[No. F. R-IX3/69-Adm(Pers.I).]

G. S. GREWAL, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 1.—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 के नियम 2 के खंड (ग) के साथ पठित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के बेतार सलाहकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का पदेन पुलिस उप महानिरीक्षक एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० फा० आर० IX 3/69-प्रशासन (कार्मिक-1).]

जी० एस० ग्रेवाल, उप सचिव ।

(10)	(11)	(12)	(13)

[सं०फा० 25–33/70–सर्वे–I]

एस० आर० अग्रवाल,अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th December 1971

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio, (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, after Serial No. 17 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

ANNE

Ministry of Information &

Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Accounts) Central Sales Unit, Commercial

S. No.	Name of post.	No. of posts	Classification.	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Deputy Director (Accounts.)	1	General Central Service Class I Gazetted Non-Ministrial,	Rs. 700—40—1100—50/2—1250.	Selection	Not application	Not applicable.

XURE I

Broadcasting

Broadcasting Service, All India Radio

Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if, any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation / transfer grades from which promotion / deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by transfer on deputation.	*Promotion*: Permanent Inspectors of Accounts with 5 year service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis. *Transfer on Deputation*: Officers of the organised Accounts Services, *e.g.* Indian Audit and Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Railway Accounts Service, etc. failing which officers of the rank of Accounts/Audit Officer with 5 years service in the grade from any of the organised Accounts Departments, *e.g.* Indian Audit & Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department etc. (Period of deputation—not exceeding three years).	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the U. P. S. C. (Exemption from consultaion Regulations, 1958.

[No. F.A. 1/2/71-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Uuder Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1971.

जी० एस० आर० 51.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावलि, कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची के क्रम-संख्या 17 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

अनुसूची

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

केन्द्रीय विक्रय यूनिट, वाणिज्यिक सेवा, आकाशवाणी में उप-

निदेशक (लेखा) के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	पद का वेतनमान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती से लिए जाने वालों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
18	उपनिदेशक (लेखा)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी राजपत्रित अलिपिक वर्गीय	780–40–1100 –50/2–1250 रुपए	प्रवरण।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती से लिए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती में लिए जाने वालो के लिए जो अर्हताए निर्धारित हैं वे पदोन्नति द्वारा की जाने वाली भर्ती के लिए लागू होगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती पद्धति पत्र सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या तिनियक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10	11
लागू नही होता	लागू नही होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13	14
पदोन्नति : वे स्थायी लेखा निरीक्षक जिनकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 5 वर्ष की सेवा हो । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** संगठित लेखा सेवाओं अर्थात भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, आदि के अधिकारी/इसके न हो सकने पर किसी भी सगठित लेखा विभाग अर्थात भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग, आदि के वे लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि-3 वर्ष से अधिक नही होगी)	प्रथम श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 में अपेक्षित है ।

[संख्या 1/2/72-बी (ए)]

ए० वी० नारायणन, अवर सचिव ।